



बराय प्रभारा पराधिकार

शरका .11.11.2016

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938

No. 494]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ASADHA 24, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 के साथ पठित धारा 5, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 21 और धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और आयुध नियम, 1962 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें एम अधिकांश में पूर्व किया गया है या किए जाने का आग्रह किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

साधारण

- संक्षिप्त नाम.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - "अधिनियम" में आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54) अभिप्रेत है ;
 - "वायु शस्त्र" में ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो संपीड़ित वायु या अन्य गैस के दबाव के अधीन किसी ताल में प्रक्षेप्य किया जाता है किन्तु जिसके अंतर्गत ऐमा करने के लिए कोई विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाता है ;
 - "पुरातत्व लघु आयुध" में 1899 में पूर्व विनिर्मित अग्रायुध अभिप्रेत है ;
 - "अपील प्राधिकरण" में नियम 105 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
 - "प्राधिकारी" या "अधिकारी" में जहां इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट उल्लेख है, के सिवाय जिला मजिस्ट्रेट या ऐमा अन्य अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाता है ;
 - "स्वचाक्षिण" में कोई लघु आयुध या हल्के शस्त्र अभिप्रेत है जो कि प्रत्येक प्रक्षेपण के पश्चात् पुनः ऐमा शस्त्र सभी आवश्यक प्रक्रमों को स्वतः क्रिया करके पुनः गोलावारी के लिए तैयार हो जाता है ; और गोलावारी तब तक के लिए

06/अि०
06/12/16

जारी रहता है तब तक कि ट्रिगर (या अन्य सक्रियकरण युक्ति) अवनत बना रहती है (माना जाता है कि गोला बारूद शेष रहता है और उसके जाम होने की घटना ही नहीं होती है) तथा कोई स्वचालित आयुध फायर चैम्बर से खाली कारतूस को निकालने और फायर कारतूसों से ऊर्जा के किसी भाग के उपयोग के लिए और उसको आयुध से निकालने, फायर क्रियाविधि को पुनः काकन करने और फायर चैम्बर में पुनः भरणयुक्त या मेगजीन से गोलाबारूद के नए राउंड को भरण करने तथा यदि ट्रिगर या अन्य संक्रियति युक्ति अवनमित है, फायर पिन स्वतः नए फायर चक्र के प्रारंभ को निर्मुक्त कर देगी ;

- (7) "फोका कारतूस" से किसी गोली या कोई अन्य प्रक्षेप्य के बिना कारतूस अभिप्रेत है ;
 - (8) "फोका फायर अग्रायुध" से किसी फोका कारतूस को फायर करने के लिए सक्षम अग्रायुध अभिप्रेत है ;
 - (9) "गोली" से कारतूस का शंकु शीर्ष अभिप्रेत है जो सामान्यतः शीशे या तांबे का बना होता है, वह विस्फोटक प्रभार या संपीडित वायु या अन्य गैस के माध्यम से नाल या सिलेंडर से बाहर निकालता है ;
 - (10) "अंशाकन" से इंच या मिलीमीटर या भूमैट्रिक परिधि में नाप की गई किसी अग्रायुध के नाल की नली के आंतरिक व्यास या नालछिद्र अभिप्रेत है ;
 - (11) "बहन करना" से लघु आयुध जिसमें किसी एक व्यक्ति की सामीप्य पर या उसके बारे में या उसको रखना अभिप्रेत है ;
 - (12) "कारतूस" से किसी कारतूस खोल प्राइमर, प्रणोदी, गोली या कोई एकल या बाहुल्य प्रक्षेप्य से बनी एक पूर्ण वस्तु अभिप्रेत है ;
 - (13) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय के लिए विधिमान्य प्रमाणपत्र रखता है ;
 - (14) "कंपनी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 33 के अधीन स्पष्टीकरण में है ;
 - (15) अग्रायुध का "संपरिवर्तन" से किसी अग्रायुध के अंशाकन या नालछिद्र में स्थायी परिवर्तन से संदर्भ है और जिसके अंतर्गत किसी नाल को हटाने या पुनः संरक्षण करना या पुनः भेदन करना जो किसी चैम्बर को समग्र या पृथक रूप रखता है, सिलेंडर के परिवर्तन और/या नली या उससे संबंधित भाग तथा कार्रवाई के विन्यास में परिवर्तन या किसी अग्रायुध की क्रियाविधि में परिवर्तन किंतु इसके अंतर्गत किसी अनुज्ञेय प्रवर्ग के अग्रायुध को निष्पिद्ध प्रवर्ग के अग्रायुध में परिवर्तन नहीं है ;
 - (16) "सैनिक उपयोग के लिए" रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नियत विनिर्देश के अनुसार विनिर्मित या संरूपण से किसी अग्रायुध या गोला बारूद (लघु आयुध और हल्के हथियार से भिन्न) अभिप्रेत है ;
 - (17) "दुर्लभ वस्तु" से वर्तमान तारीख से कम से कम पचास वर्ष पूर्व विनिर्मित या किसी सरकारी विनियमित संग्रहालय के किसी संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित लघु आयुध अभिप्रेत है या उक्त युक्ति की कम से कम उसकी धनीय मूल्य का कम से कम आधा है तथा यह है कि यह एक विलक्षण या दुर्लभ, अनोखा या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति, अवधि या घटना से सहबद्ध है या जिसके अंतर्गत कोई पुरातत्व लघु आयुध भी है ;
 - (18) "निष्क्रियकरण" से किसी विस्फोटक कार्रवाई द्वारा किसी गोला, गोली, मिसाइल या कोई अन्य प्रक्षेप्य को बाहर फेंकने या उसे छोड़ने में सक्षम किसी लघु आयुध या हल्के शस्त्र को प्रस्तुत करना अभिप्रेत है और जिसे तत्काल अपनी मूल क्षमता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा वह उसे किसी प्रत्यायित गन बनाने वाले या किसी सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय के रूप में प्रमाणित या चिह्नित किया गया है ;
- स्पष्टीकरण – निष्क्रियकरण से अपेक्षित है कि लघु आयुध या हल्के अग्रायुध के सभी दाव रखने वाले सभी अवयव इस तरह से स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिए जाए कि अग्रायुध उपयोग करने योग्य न रहे और जिसके अंतर्गत नाल, काबला, सिलेंडर, संपर्क फायरिंग पिन और अभिग्राही या फ्रेम का उपांतरण भी है ।
- (19) "व्यवहारी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यापार या कारबार, क्रय, विक्रय, परीक्षण (पूर्ण परीक्षण से भिन्न), निर्यात, आयात या अंतरण या विक्रय के लिए रखने या आयुध या गोला बारूद परीक्षण (पूर्ण परीक्षण से भिन्न) के

- द्वारा लगा है और जिसके अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.), नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ने.रा.ए.इ.) और ने.रा.ए.इ. से सहबद्ध स्टेट राईफल एसोसिएशन या ने.रा.ए.इ. की सहबद्ध इकाईयां भी हैं ;
- (20) "समर्पित खेल व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्रिय रूप से खेल निशानेबाजी में भाग लेता है और जो किसी निशानेबाजी प्रत्यायित खेल निशानेबाजी संगठन का सदस्य है ;
- (21) "इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रणता कारक युक्ति" से संपीड़ित गैस द्वारा प्रणोदी इलैक्ट्रोड प्रक्षेपी फायर करने के लिए कोई मध्यम इलैक्ट्रॉनिक युक्ति अभिप्रेत है जो मुख्य इकाई से या किसी मुचालक तार द्वारा युक्ति से जुड़ा रहता है और लक्ष्य को अस्थायी रूप से तंत्रिका पेशी को असमर्थ कारित करता है ;
- (22) "सरकारी आयुध" से कोई अग्रायुध या कोई अन्य हथियार अभिप्रेत है जो सरकार की संपत्ति है ; और
"सरकारी गोला बारूद" से ऐसे किसी सरकारी कारखाने में विनिर्मित या नागरिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्मुक्त ऐसा गोला बारूद से भिन्न सरकार के लिए तैयार और उसे प्रदाय गोला बारूद अभिप्रेत है ;
- (23) "बंदूक बनाने वाला" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अग्रायुध की छोटी या बड़ी मरम्मत के कार्य को करता है और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अधीन किसी अग्रायुध के अंशाकन या नली की लंबाई में परिवर्तन कर सकेगा या ऐसे अन्य कार्यों को कर सकेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ;
- (24) "हस्त बंदूक" से ऐसा छोटा ढांचा अभिप्रेत है जिसका कोण और लघु हृत्थे के साथ नली की पंक्ति से नीचे विस्तारित है कि जिसे एक हाथ से पकड़ने के लिए और फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा जिसके अंतर्गत पिस्टल और रिवाल्वर भी हैं ;
- (25) "अभिवहन में" से अग्रायुध या गोला बारूद जो आयातित है, के किसी अन्य देश को भारत के माध्यम से प्रवहन अभिप्रेत है ;
- (26) "अग्रायुध" प्रतिकृति" से कोई वस्तु किसी अग्रायुध की सदृश्य डिजाइन की हुई कोई वस्तु अभिप्रेत है जिससे कि सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए यह प्रतीत हो कि वह वास्तविक है और जिसे निष्क्रिय बना दिया गया है ;
- (27) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची 3 में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (28) "हृत्थे हथियार" से किसी कर्मिंदल के रूप में सेवारत दो या तीन व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया मनुष्यों द्वारा बहनीय हथियार अभिप्रेत है (यद्यपि उसे एक व्यक्ति द्वारा भी बहन या उपयोग किया जा सकता है) कि वह निष्कासित या छोड़ा जाता है, निष्कासित या छोड़े जाने के लिए डिजाइन किया गया है या किसी विस्फोटक क्रिया द्वारा किसी गोले, गोली या प्रक्षेप्य को निष्कासित करने या छोड़ने को त्वरित रूप से परिवर्तित किया जा सकेगा जिसके साथ-साथ भारी मशीनगन, नली के अधीन हाथ में पकड़ने वाली और आरूढ़ ग्रेनेड प्रमोदित, बहनीय, विमान मेदी तोप स्कीम, प्रतिक्षेप रहित राइफल, टैंकरोधी मिसाइल और राकेट प्रमोदित बहनीय प्रणाली, विमान मेदी तोप मिसाइल बहनीय प्रमोदित प्रणाली, सौ मिलीमीटर से कम किसी अंशाकन के मोटार के साथ-साथ उनके पुर्जे, घटक और गोला बारूद भी हैं ;
- (29) "मुख्य अग्रायुध घटक" से किसी अग्रायुध की नली, फ्रेम, स्लाईड, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक अभिप्रेत है ;
- (30) "विनिर्माता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अग्रायुध के विनिर्माण, विक्रय, परीक्षण (प्रमाण परीक्षण से भिन्न), निर्यात, आयात या अंतरण या विक्रय के लिए रखने या अग्रायुध उनके पुर्जों, घटकों या या गोला बारूद या अग्रायुध से भिन्न कोई आयुध के परीक्षण (प्रमाण परीक्षण से भिन्न) में लगा है ;
- (31) "विनिर्माण" से निम्नलिखित का निर्माण करना, उत्पादन करना या संयोजित करना अभिप्रेत है :-
- कोई पूर्ण अग्रायुध ;
 - किसी अग्रायुध के द्वात्र धारण करने वाले भाग या अवयव (उदाहरणार्थ नली, स्लाईड, मिलेंडर, बोल्ट, ब्रीचलॉक, फायर पिन, आदि) ;
 - अग्रायुध के लिए गोला बारूद ;

- (iv) किसी अग्रायुध से भिन्न कोई आयुध, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है-
- (i) किसी निष्क्रिय अग्रायुध को पुनः सक्रिय करना ; और
- (ii) किसी अग्रायुध के प्रत्ययों को सारतः उपांतरित करना (जैसे पूर्ण स्वचालित में संपरिवर्तन) किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है -
- (i) किसी अग्रायुध की मरम्मत, पुनर्स्थापन, अनुरक्षण या कोस्मेटिक परिवर्धन या उपांतरण ; या
- (ii) किसी गोला बारूद का वाणिज्यिक पुनः लदाई ;
- (32) "चिह्नताकन" से अग्रायुधों, गोला बारूद और गोला बारूद की पैकिंग पर स्थायी उत्कीर्ण अभिप्रेत है जिससे उनकी पहचान अनुज्ञात हो सकें ;
- (33) "नाल मुख ऊर्जा" से किसी प्रक्षेपित की गतिज ऊर्जा अभिप्रेत है जैसे यह किसी अग्रायुध की नली से बाहर निकलती है और इसे जूलस या फुट-पाउंड में अभिव्यक्ति किया जाता है ;
- (34) "एनडीएएल" से शस्त्र अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय डाटा बेस अभिप्रेत है ;
- (35) "पेंट बाल" से ऐसा प्रक्षेपित्र (गोलाकार जिलेटिन कैप्सूल) अभिप्रेत है जो मुख्यतः जल में घुलनशील अविषैले पदार्थों से और रंजक से मिलकर बना है जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु को चिह्नार्कित करने के लिए डिजाइन किया गया है ;
- (36) "पेंट-बाल चिह्नक या पेंट-बाल बंदूक" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो पेंट बालों को गैस के फैलने या वायु के संपीडन के माध्यम से दागने में सक्षम है चाहे उसे यांत्रिक रूप से या वैद्युत-न्यूमैटिकली रूप से प्रचालित किया जाए ;
- (37) "हिस्से और संघटक" से ऐसा कोई तत्व या प्रतिस्थापन तत्व अभिप्रेत है जिसे विनिर्दिष्ट रूप से किसी अग्रायुध के लिए डिजाइन किया गया है और वह उसके प्रचालन के लिए अनिवार्य है तथा इसके अंतर्गत कोई नाल, फ्रेम या रिसीवर, स्लाईड या सिलेंडर, बोल्ट या ब्रीच ब्लॉक और कोई युक्ति जिसे दागने के द्वारा कारित किसी ध्वनि के समरूप होने के लिए या उसे कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, सम्मिलित है ;
- (38) "पिस्टल" से उसके अभिन्न भाग के रूप में चेंबर सहित या नली के समरूप स्थायी रूप से उसके भाग सहित कोई हस्तगन अभिप्रेत है ;
- (39) "पत्तन" के अंतर्गत कोई समुद्री पत्तन, कोई विमानपत्तन और कोई भूमि पत्तन सम्मिलित है ;
- (40) "रिम रहित" से कोई कारतूस अभिप्रेत है जहां रिम का बही न्यास है जो उसके केस का है तथा जिसका उपयोग अग्रायुध में किसी बाक्स मैगजीन से फीड के रूप में किया जाता है ;
- (41) "रिम युक्त कारतूस" से ऐसा रिम युक्त कारतूस अभिप्रेत है जहां रिम का व्यास महत्वपूर्ण रूप से कारतूस के आधार से अधिक है और रिम चेंबर में समुचित गहराई पर कारतूस को धारण करने में इस्तेमाल किया जाता है ;
- (42) "रिवाल्वर" से ब्रीच लोडिंग, चेंबर युक्त सिलेंडर के साथ कोई हस्तगन अभिप्रेत है जिनका इस प्रकार प्रबंध किया जाता है कि हथौड़ा मारने या ट्रिगर को दबाने से सिलेंडर घूमता है और अगले कारतूस को दाग करने के लिए नाल की सीध में ले आता है ;
- (43) "मरम्मत" से अग्रायुध की गौण या प्रमुख मरम्मत अभिप्रेत है -
- 'लघु मरम्मत' के अंतर्गत निम्नलिखित है-
- (i) सफाई और पुनः फिनिशिंग करना, सिलिंग्स फिक्स करना, रिक्वाइलपैड, पूर्व फेब्रीकृत स्टॉक का प्रतिस्थापन, साधारण उपसाधन, परिरक्षक पैकेजिंग करना और अग्रायुध और उसके संघटकों से सही या सुरक्षित कार्यकरण का सुनिश्चित करना ;

